न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी	**:–**	**रूपेन्द्र चौहान, आर.जे.एस.**
नियमित अपराधिक प्रकरण संख्या	**:–**	**505/2017**
सी.आई.एस.सं.	**:–**	**505/2017**
सीएआर नंबर	**:–**	**RJDK**090010752017

राजस्थान राज्य

–अभियोगी

बनाम

1.जाकीर हुसैन पुत्र जुम्मा उम्र 52 वर्ष

2. मो. इमरान पुत्र अब्दुल गफूर उम्र 43 वर्ष

3. मोहम्मद हसन पुत्र अब्दुल गफूर उम्र 36 वर्ष

4. फरहान अहमद पुत्र शकूर अहमद उम्र 38 वर्ष

निवासीगण चांद जी का कुआ मकराना पुलिस थाना मकराना जिला डीडवाना कुचामन।

–अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 336, 504 भारतीय दंड संहिता

उपस्थितिः–

1. राज्य की ओर से :– विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ।

2. अभियुक्तगण की ओर से :– विद्वान अधिवक्ता श्री मो. उमर गैसावत।

–::निर्णय::– **दिनांकः– 24.08.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मो. अफजल ने एक लिखित रिपोर्ट दिनांक 28.01.2016 को पुलिस थाना मकराना में इस आश्य की प्रस्तुत की गई कि प्रार्थी की भाई बंटवारा सुदा खान बापी 51 नया नम्बर 51/5 काला नाडा, उलोडी रेंज में 17.50 गुणा 250 फुट घीसाजी गोड के पास वाला हीस्सा दिनांक 6.12.1970 व 31.08.1989 का मिला हुआ है। जिस पर प्रार्थी अपने पूर्वजों के जीवन काल से क्रेनो उपकरणो व वायरशा मशीनो के सहारे दिनाक 28.1.2016 को करीब 11.30 बजे खनन कार्य

खान के अन्दर 250 फुट की गहराई में कर रहा था कि एक जुट व एक राय होकर प्रार्थी की कब्जा शुदा हिस्सा 17.50 गुणा 250 के अन्दर जबरदस्ती से शेख फरीद, अब्दुल गफूर, इमरान फरान व हसन हाथो मे सरिये व लाठियां व परसिया लेकर प्रार्थी के भाई अरफान अहमद की हत्या करने का आश्य रखते हुये खान के अन्दर घुसकर अब्दुल गफूर ने अपने हाथ के सरिये से प्रार्थी के भाई के सिर के उपर हत्या करने का आश्य रखते हुवे हमला किया जिससे प्रार्थी के भाई के सिर पर गभीर चोटे आई तथा शेख फरीद, इमरान फरान व हसन ने प्रार्थी के भाइ पर पत्थरों से हमला किया जिससे प्रार्थी के भाई के शरीर पर अन्य गंभीर चोटे आई शोरगुल सुनकर खान पर खनन कार्य करने वाला ठेकेदार दामाराम व नेमीचन्द ने आकर छुडवाया। अन्यथा प्रार्थी के भाई कि हत्या कर देते ......इत्यादि।

2. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मकराना द्वारा प्रकरण संख्या 33/2016 अंतर्गत धारा 147,148,149,336,307 भादस में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341,323,336,504 भादस के तहत न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्तगण को धारा 341,323,336,504 भादस का आरोप मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया जिसे अभियुक्तगण ने सुन व समझ कर आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड. 01 अफजल, पी.ड 02 अरफान अहमद, पी.ड. 03 हयात अली, पी.ड. 04 दामाराम, पी.ड. 05 मोहम्मद उमर, पी.ड. 06 अब्दुल रसीद, पी.ड. 07 डॉक्टर श्रवण कुमार नायक, पी.ड. 08 नेमीचंद, पी.ड. 09 इन्द्रराज मरोडिया, पी.ड 10 सुरेन्द्र कुमार गोदारा के बयान लेखबद्ध कराये गये तथा दस्तावेजी में रिपोर्ट प्रदर्श पी–1, चाक एफआइआर प्रदर्श पी 2, नक्शा मौका प्रदर्श पी–3, पुलिस बयान प्रदर्श पी–4, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–5, एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 6 लगायत 9, एक्सरे कवर प्रदर्श पी–10 को प्रदर्शित करवाया गया।

5. अभियुक्तगण का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.स. किया गया तो उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा झूठा फंसाये जाने का कथन किया एवं साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करने से इंकार कर दस्तावेजी साक्ष्य में पुलिस बयान दामाराम को प्रदर्श डी 1 को प्रदर्शित करवाया गया।

6. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क दिये गये है कि प्रकरण में उसे झूठा फंसाया गया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में जिस खान का हवाला दिया गया है उससे परिवादी का कोई संबंध नही है, खान का लाईसेंस अभियुक्तगण की दादी फातिमा के नाम का है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। जिस स्थान पर मारपीट किया जाना बताया गया है वह भी गवाहान ने भिन्न भिन्न् बताई है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा बनाया गया नक्शा मोका गवाह द्वारा दी गई साक्ष्य से भिन्न है। खान का बटवारा नही हुआ है। रिपोर्ट की पुस्त पर लिखा समय व चौट प्रतिवेदन का समय लगभग समान है व इन आधारों पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गई। उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किये गये है कि अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अपनी कहानी को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है व इन आधारों पर अभियुक्तगण को दोष सिद्ध किये जाने की प्रार्थना की गई।

7. उभय पक्ष के तर्कों, तथ्यों पर विचार किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः–

(1) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 28.01.2016 को दिन के 11.30 बजे खान संख्या 51/5 कालानाडा उलोडी रेंज में परिवादी को इच्छित दिशा में जाने से निवारित कर उसके साथ मारपीट कर उसे साधारण उपहति कारित व लापरवाही पूर्वक ऐसा कार्य किया जिससे मानव जीवन संक्टापित हुआ तथा परिवादी के साथ गाली गलोच कर शांति भंग कारित करने के आश्य से परिवादी को अपमानित किया गया?

(2) यदि हां तो समुचित दण्ड क्या होगा?

8. उभयपक्ष की ओर से दिये गये तर्कों के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित हो रहा है कि प्रकरण का उद्भव लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 के आधार पर हुआ है, जिसमें परिवादी मो. अफसल ने मुख्य रूप से यह कथन किये है कि प्रार्थी की भाई बंटवारा सुदा खान बापी 51 नया नम्बर 51/5 काला नाडा, उलोडी रेंज में 17.50 गुणा 250 फुट घीसाजी गोड के पास वाला हीस्सा दिनांक 6.12.1970 व 31.08.1989 का मिला हुआ है। जिस पर प्रार्थी अपने पूर्वजों के जीवन काल से क्रेनो उपकरणो व वायरशा मशीनो के सहारे दिनाक 28.1.2016 को करीब 11.30 बजे खनन कार्य खान के अन्दर 250 फुट की गहराई

में कर रहा था कि एक जुट व एक राय होकर प्रार्थी की कब्जा शुदा हिस्सा 17.50 गुणा 250 के अन्दर जबरदस्ती से शेख फरीद, अब्दुल गफूर, इमरान फरान व हसन हाथो मे सरिये व लाठियां व परसिया लेकर प्रार्थी के भाई अरफान अहमद की हत्या करने का आश्य रखते हुये खान के अन्दर घुसकर अब्दुल गफूर ने अपने हाथ के सरिये से प्रार्थी के भाई के सिर के उपर हत्या करने का आश्य रखते हुवे हमला किया जिससे प्रार्थी के भाई के सिर पर गभीर चोटे आई तथा शेख फरीद, इमरान फरान व हसन ने प्रार्थी के भाइ पर पत्थरों से हमला किया जिससे प्रार्थी के भाई के शरीर पर अन्य गंभीर चोटे आई शोरगुल सुनकर खान पर खनन कार्य करने वाला ठेकेदार दामाराम व नेमीचन्द ने आकर छुडवाया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मकराना द्वारा प्रकरण संख्या 33/2016 अंतर्गत धारा 147,148,149,336,307 भादस में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341,323,336,504 भादस के तहत न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्तगण को धारा 341,323,336,504 भादस का आरोप मौखिक रूप से सुनाया गया।

9. अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है, जिसमें गवाह पीडब्ल्यू–1 मो. अफजल के रूप में परीक्षित हुआ है उक्त गवाह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये गये हैं कि दिनांक 28.1.2016 को ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे की बात है। वह उसकी माईन्स कालानाडा उलोड़ी रेंज में काम कर रहा था। उसका भाई खान के अंदर काम कर रहा था वह बाहर काम कर रहा था। तभी वहां पर इमरान, फरहान, हसन, गफुर, शेख फरीद आए और आते ही उन्होने उनकी खान पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जब इरफान बाहर आया तो हसन ने पत्थर से उसके चोट मारी। इमरान, फरान, शेख फरीद व गफुर ने उसके भाई इरफान के साथ हाथापाई. लातो घूसो से मारपीट की व गफुर ने सरिये से उसके भाई के सिर पर मारी। दामाराम व नेमीचंद ने आकर बीच बचाव कर उसके भाई को छुड़ाया, अन्यथा ये लोग उसके भाई को जान से मार देते, फिर उसके भाई को होस्पीटल लेकर गए, जहां से उसको अजमेर रेफर कर दिया। घटना की रिपोर्ट उसने थाने में दी थी, रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफ.आई.आर प्रदर्श पी 02 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस मौके पर आई थी. पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना कर नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 बनाया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इन लोगों ने खान

के विवाद को लेकर उसके भाई के साथ मारपीट की व खान पर पत्थर फेंकें। **दौराने** जिरह गवाह के कथन रहे है कि खान का लाइसेन्स किसके नाम है उसे मालूम नहीं है। खान का कुल क्षेत्रफल 250 फीट है, जिसमें 17:50 फीट हिस्सा उनका है। उसके नाम से या उसके पिताजी के नाम से लाइसेन्स स्वीकृत हो तो उसे मालूम नहीं है। घीसाजी गौड उनके पड़ौसी है। घीसाजी गौड उनके समधी है। उनकी खान पर चार आदमी काम कर रहे थे। ये चार मजदूर उनकी खान पर सवेरे नौ से दस बजे के बीच में आए थे। इन चार मजदूरों में से दो 4 के नाम वह बता सकता है, एक का नाम दामाराम, दूसरे का नाम नेमीचंद। खान के एक तरफ घीसा गौड और एक तरफ उमर जी चौहान, फारूख की खान है, और किसकी खान है उसे जानकारी नहीं। खान की गहराई कितनी है उसे मालूम नहीं है। खान के अगवाड़ में बड़ी ईदगाह है। पीछे की ओर फिल्ड है। खान के पीछवाडे में उसकी क्रेन लगी है, जिस पर दीन मोहम्मद लिखा है। खान के अगवाड में कुल एक क्रेन है व अगवाड में एक क्रेन है, जो उनकी नहीं है। खान के अंदर जाने व बाहर आने में कितना समय लगता है वह नहीं बता सकता। पुलिस मौके पर आई थी। पुलिस मौके पर घटना वाले दिन व मौका रिपोर्ट बनाए उस दिन आई थी। वे थाने पुलिस के साथ गए थे। वे थाने में रिपोर्ट दी जब तक रुका था। वह थाने में कितने घंटे रूका उसे पता नहीं है। प्रदर्श पी 01 पर ए से बी हस्ताक्षर उसने थाने में किए थे। रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 उसने थाने में लिखवाई थी। रिपोर्ट किस पुलिस वाले ने लिखी थी उसे नाम मालूम नहीं है। प्रदर्श पी 01 रिपोर्ट थाने में टाईप हुई थी। पुलिस द्वारा प्रदर्श पी 01 रिपोर्ट लिखने के बाद उसने अपने हस्ताक्षर किए थे। रिपोर्ट को पुलिस वालों ने उसे पढ़कर सुनाया था। प्रदर्श पी 01 रिपोर्ट में क्या क्या बातें लिखी हुई थी उसे इतना समय हो गया है इसलिए नहीं बता सकता। सद्धाम पुत्र मोहम्मद सलीम सिसौदिया उसके जीजाजी है। मोहम्मद रफीक पुत्र जमाल खींची को वह नहीं जानता। रसीद उसके बड़े पिता का लड़का है। रसीद उसके पड़ौस में रहता है। शौकत अली, दीन मोहम्मद भाई भाई है। मोहम्मद इरफान के चोट आई थी। इरफान उसका बड़ा भाई है। मोहम्मद इरफान के सिर पर व अंधरूनी चोटें आई थी, कुल घोटे आई थी उसे पता नहीं। इरफान के कपड़े खून में भर गए थे। इरफान को हॉस्पीटल में लेकर गया था। इरफान को कौनसी गाड़ी में होस्पीटल लेकर गए थे उसे मालूम नहीं है। इरफान को पहले होस्पीटल लेकर गए थे। इसके बाद पुलिस होस्पीटल में आई थी। होस्पीटल उनके रिश्तेदार में कौन कौन आए थे वह नही बता सकता। इरफान अजमेर में अंदाजन छ सात दिन भर्ती रहा। इरफान को

अजमेर एंबूलेंस में लेकर गए थे, जो होस्पीटल की थी। झगड़ा अचानक ही हुआ था। जाकिर घटना के समय वहां नहीं था। शेख फरीद मौके पर था। शेख फरीद 70–80 वर्ष के होंगें यह उसे मालूम नहीं लेकिन वह मर चुके है। इमरान गफूर जी का लड़का है। इमरान के हाथ पत्थर, सरीया था। गफूर के हाथ में सरिया था। फरहान जी के हाथ में पत्थर व सरिया था, हसन के हाथ में सरिया था। झगडा खान के अंदर हुआ था। यह कहना गलत है कि झगड़े में वह व इरफान गिर गए हो, वह खान के बाहर था। यह कहना गलत है कि इरफान पत्थर पर गिरा हो। मुल्जिमान व इरफान सब साथ में ही खड़े थे। हसन ने इरफान के पत्थर की मारी, गफूर ने सरिये से मारी, बाकी ने लातों घूस्सों से मारी। उसकी रिपोर्ट वकील साहब खलील जी ने लिखी हो तो उसे मालूम नहीं है। यह कहना गलत है कि उसका खान से 51/5 में उसका कोई हिस्सा नहीं हो और जबरन कब्जा करने की नियत से उसने यह झुठा मुकदमा किया हो।

10. गवाह पीडब्ल्यू–2 अरफान अहमद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि दिनांक 28.01.2016 को वह खान से 51/5 कालानाडा में खान के अंदर काम कर रहा था। उसके साथ उसका भाई मोहम्मद अफजल भी खान के अंदर था। शेख फरीद, गफूर, इमरान हसन, फरान सरिये और डन्डे लेकर अंदर आए और उसके सिर पर अब्दुल गफूर व हसन ने वार किया जिससे उसके चोट आई। उसके भाई पर व उस पर पथराव किया। उसके सिर से खून आ गया था। उन्होंने शोर किया तब उसका ठेकेदार दामाराम और नेमीचंद जो खान के अदर थे आए और बीच बचाव कर उन्हें छुड़ाया। उसे सरकारी होस्पीटल में इलाज के लिए लेकर गए जहां से उसे अजमेर रेफर कर दिया था। उसकी चोटों का मेडिकल मुआयना करवाया था तथा एक्सरा हुआ था। **दौराने** जिरह गवाह के कथन रहे है कि उसका जन्म 1970 या 1972 में हुआ था तारीख याद नहीं है। घटना की रिपोर्ट उसने नहीं दी उसके या किसी ने दी होगी फिर कहा उसके भाई मोहम्मद अफजल या किसी रिश्तेदार ने दी होगी। खान का लाइसेन्स अब्दुल गफूर, शेख फरीद के नाम से बना हुआ है जो उनकी सहमति से बना हुआ है। सहमति कब लिखकर दी थी उसे याद नहीं है। सहमति देने वाले उसके वालिद दिन मोहम्मद व शौकत अली उसके चाचा थे। सहमति की लिखापढ़ी उनके पास है। खान सं 51/5 में घीसा जी गौड की खान है. पूर्व में फिल्ड है, दक्षिण में उमर जी और फारूक और उनके भाईयो की खान है। खान स 51/5 में पूर्व में उनकी क्रेन लगी हुई है व उत्तर में उनकी क्रेन थी जो गिर गई। फिर कहा कि पश्चिम में उनकी क्रेन थी जो गिर गई। खान की गहराई 250 फीट है। घटना के वक्त खान

पर उसका ठेकेदार दामाराम और नेमीचंद दो आदमी काम कर रहे थे। वह और उसका भाई मोहम्मद अफजल खान के अंदर थे। यह कहना सही है कि झगड़ा खान के अंदर हुआ। था। यह कहना सही है कि झगड़ा खान के अंदर थड़ी व मलबा था वहां हुआ था। झगड़ा लगभग आधा एक घंटा चला था। झगड़े में पहले अब्दुल गफुर, हसन आए थे उनके पीछे शेख फरीद व उनके लड़के फरान व इमरान आए थे। झगड़ा पहले उससे किया था। होस्पीटल बारह बजे लगभग गए थे। उसे होस्पीटल पुलिस लेकर गई थी। वह होस्पीटल कितने घंटे रूका उसे पता नहीं है। होस्पीटल में उसके रिश्तेदारों की भीड़ इकटठी हुई थी या नहीं वह नहीं बता सकता क्योंकि उसके सिर पर चोट लगी हुई थी, वह बेहोश हो गया था। उसे अजमेर बेहोशी की हालत में गया था। उसे होश कितने दिन बाद आया उसे पता नहीं है। यह कहना सही है कि उसके सिर पर चोट लगने से उसके कपड़े खून से लथपथ हो गए थे। खून से भरे कपडे पुलिस को दिये या नहीं उसे पता नहीं। उसके सिर पर चोट लगी थी जो गफूर और हसन ने मारी थी। उन सबके हाथ में सरिये और पत्थर थे। उसके सिर और बदन पर चोट लगी थी कुल कितनी चोटे लगी थी वह नहीं बता सकता। उसके पहले गफूर ने मारी उसके बाद हसन ने मारी थी। दोनों ने सरिये व पत्थर से चोट मारी थी। हसन ने उसके पत्थर से सिर व कमर पर मारी थी। उसने आज जो बयान दिए ऐसे बयान कोर्ट के अलावा और कहीं पर नहीं दिए। दामाराम और नेमीचंद चार–पांच वर्षों से खान पर काम कर रहे थे। वह पहली चोट में बेहोश नहीं हुआ था, उसके सिर पर हसन ने चोट मारी उसके बाद बेहोश हो गया था। यह कहना सही है कि बेहोश होने के बाद उसके साथ किसने मारपीट की उसे पता नहीं है। यह कहना गलत है कि उसका विवादित खान में कोई हिस्सा नहीं हो और उसने यह मुकदमा दर्ज करवाया हो। इस मुकदमें से पहले उसने मुल्जिम गफूर व हसन वगै के खिलाफ कोई दिवानी मुकदमा नहीं किया है। यह कहना सही है कि वह झगड़े के दौरान गिर गया था।

11. गवाह पीडब्ल्यू–3 हयात अली ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि दिनांक 28.01.2016 की बात है। वह अपनी खान कालानाडा रेंज पर बैठा था तब साढ़े ग्यारह बारह बजे अरफान की खान पर हो–हल्ला हुआ। वह हो–हल्ला सुनकर वहां गया तो उसने देखा कि अरफान के साथ पांच–छ लोग मारपीट कर रहे थे। पांच छ लोग में एक शायद गफूर था व जाकिर और अन्य व्यक्ति थे जो मारपीट कर रहे थे। मारपीट से अरफान के सिर पर चोटी लगी थी। बीच बचाव ठेकदार व पडौसीयों ने करवाया था। वहां पर उमर, अफजल थे फिर वह वहां

गया तब पुलिस आई थी पुलिस ने उनके बयान दर्ज किए थे। फर्द नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी 03 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 पर उसके हस्ताक्षर गवाह के नाम पर करवाए थे। **दौराने** जिरह गवाह के कथन रहे है कि उसकी खान के नंबर 58/बी है जो कालानाडा रेंज में आई हुई है। घटना वाली खान उसकी खान से आठ–दस खान छोडकर है। यह कहना गलत है कि वह अरफान की खान अरफान के कहने से बता रहा है, बल्कि खान अरफान की ही है। यह कहना सही है कि अरफान की खान के कागजात उसने कभी नहीं देखे। बीच बचाव करने जो ठेकेदार वह उसका नाम नहीं बता सकता है। बीच बचाव में पड़ौसीयों में अनवर जी, मुंशी चौहान और अन्य थे जिनके नाम उसे पता नहीं है। ये पडौसी अरफान की खान के पड़ौसी है। खान के उत्तर में रहीम जी होटल वाले की खान है। रहीम छुड़ाने के लिए आया था या नहीं उसे नहीं पता। घीसा गौड के पुत्रों में से कोई छुड़ाने आया या नहीं उसने नहीं देखा। उसने इस खान पर कभी सौदा नहीं किया। अरफान उसकी साली का लड़का है। यह कहना सही है कि उसने चारों पड़ोस बताए है वह इस क्षेत्र के ही पड़ौस है। झगड़ा कितने देर चला उसे पता नहीं है फिर कहा कि पन्द्रह बीस मीनट चला था। वह झगड़े के एक घंटे बाद पहुंचा था फिर कहा कि एक आधा घंटे बाद पहुंचा था। उसके पहुंचने से पहले अफजल व उमर जी वहां मौजूद थे। झगड़े के बाद पुलिस दो दिन बाद आई थी। पुलिस झगड़े के दिन नहीं आई थी। उसने अरफान के सिर व हाथ पर चोट देखी थी। उसने चोट झगड़े के आधे घंटे बाद देखी थी। वह जब मौके पर गया तब वहां गफूर और जाकिर वहां मौजूद थे या नहीं उसे अंदाजा नहीं है फिर कहा कि मौजूद थे। उसने अरफान के चोटे देखी थी उसके अलावा और किसी के चोटे नहीं देखी। उसने अरफान को देखा तब वह बेहोशी की हालत में था उसके बाद उसे होस्पीटल ले गए थे। अरफान के उसने सिर व हाथ में चोट देखी थी और कहीं नहीं देखी। उसने पुलिस में बयान दिए थे जो दो या तीन दिन बाद दिए थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 03 में की लिखापढी उसके सामने नहीं की, उसके हस्ताक्षर करवाए थे फिर वह चला गया था। प्रदर्श पी 03 पर उसने हस्ताक्षर खान पर किए थे। झगड़ा खान के पीछवाड में हुआ था। खान के पीछवाड़ में अरफान वगैरह की केन लगी हुई है। झगडा खान के पेडे पर हुआ था।

12. गवाह पीडब्ल्यू–4 दामाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि दिनांक 28.01.2016 को सुबह ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे की बात है वह, नेमीचंद व अरफान दीन

मोहम्मद जी की खान से 51/5 कालानाड़ा उल्लोड़ी रेंज में खान के अंदर काम कर रहे थे। ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे शेख फरीद, अब्दुल गफूर, इमरान, फरान, हसन गाली गलौच करते हुए खान के पास आए। ये इरफान को गाली निकाल रहे थे। अब्दुल गफूर के हाथ में सरिया था तथा अन्य लोगों के हाथ में लाठियां व पत्थर थे। खान के अंदर आते ही उन लोगों ने अरफान पर हमला कर दिया। अब्दुल गफुर ने सरिये से अरफान के सिर पर मारी जिससे वो नीचे गिर गया, बाकी लोगों ने अरफान के साथ पत्थर व लाठीयों से मारपीट की। वह और नेमीचंद खान के अंदर काम कर रहे थे वे भागकर आए और बीच बचाव कराया। अरफान के सिर व हाथ पर चोट आई थी, उसके सिर से खून बहने लगा था। उन्होंने अरफान को टंकी के जरिये खान से बाहर निकाला फिर अरफान के भाई बंध वहां पर आ गए थे जो अरफान को होस्पीटल ले गए। **दौराने** जिरह गवाह के कथन रहे है कि वह खान सं 51/5 पर तीन चार साल से काम कर रहा है, वह ठेकेदारी का काम कर रहा है। घटना के समय वह और नेमीचंद ही खान पर काम कर रहे थे अन्य मजदूर नहीं थे। पडौसियों के खान के मजदूरों के नाम उसे पता नहीं है। पडौस की खान घीसा जी की खान में काम नहीं चल रहा था, दूसरी तरफ उमर की खान में चार–पांच मजदूर काम कर रहे थे, गफूर जी की खान में दो–तीन मजदूर काम कर रहे थे। गफूर के मजदूरों से उसकी बातचीत नहीं थी। खान में काम दिन में चलता है रात में नहीं चलता। घटना के वक्त खान की गहराई लगभग ढाई सौ फुट थी व चौड़ाई डेढ सौ फुट थी। यह कहना सही है कि खान की गहराई को खान के पेडे से अच्छी तरह देखा जा सकता है। उसे खान के बारह आने पर पता चला कि खान पर पचास–साठ आदमी इकट्ठे हो गए है जिनके नाम वह नहीं बता सकता। झगडा खान के पछवाड साइड में हुआ था जो खान के अंदर हुआ था खान के पेडे पर नहीं हुआ। झगड़ा लगभग दस–पन्द्रह मीनट चला था। उन्होंने हल्ला नहीं किया उन्होंने छुड़ाने का काम किया था। झगडे में अरफन नीचे गिर गया था। पछवाड की तरफ एक केन लगी हुई थी। अगवाड की तरफ एक केन लगी हुई थी। अरफान को टंकी के अंदर डालकर खान के बाहर अंदाजन आधे घंटे में बाहर निकाला था। टंकी में वह, नेमीचंद और अरफान था। भीड़ खान के अगवाड साईड में इकट्ठी हुई थी। अरफान के कपड़े खून से भर गए थे। यह कहना सही है कि खान के अंदर भी खून गिर गया था। अरफान के कपडे थोड़े बहुत फट गए थे। वे बाहर आए तब तक अरफान के घर वाले आ चुके थे। अरफान को होस्पीटल अफजल, अकरम लेकर गए थे जो कार से लेकर गए थे। गाड़ी के अंदर अरफान के दो भाई, अरफान व ड्राईवर था। ये

लोग पहले होस्पीटल आए थे क्योंकि दस मीनट बाद वह भी होस्पीटल आ गया था। पुलिस होस्पीटल में आ गई थी जो पट्टी कराकर अरफान को थाने ले गई थी। वह भी थाने गया तब अरफान को चक्कर आ गया था। अफजल, अकरम भी साथ ही थे। चक्कर आने से अरफान बेहोश हो गया था जिसके बाद उसे फिर होस्पीटल लेकर आ गए। पुलिस वालों ने उसके बयान दिनांक 31.01.2016 को लिए थे। पुलिस खान पर आई थी उसने बयान खान पर ही दिए थे। पुलिस खान के अंदर मौका देखने के लिए नहीं गयी थी। पुलिस मारपीट वाली जगह मौका देखने नहीं गई। अब्दुल गफुर के हाथ में सिरया था बाकी सब के हाथ में लाठी व पत्थर थे। यह कहना सही है कि पत्थर किसके हाथ में थे व लाठी किसके हाथ में थी वह नहीं बता सकता। उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी 01 में उसने अब्दुल गफुर के हाथ में सरिया होने की बात लिखवाई थी पुलिस वालों ने लिखी या नहीं लिखी उसे नहीं पता। झगड़ा आमने सामने नहीं हुआ था, अरफान बैठा था तब उसके नजदीक जाकर अब्दुल गफूर ने सरिये की मारी थी। अरफान के सिर, हाथ व पैर पर चोट आई थी, कौनसे पैर पर चोट आई थी वह नहीं बता सकता। अरफान को होस्पीटल से एक घंटे बाद छुट्टी दे दी थी फिर अरफान चैकअप कराने के लिए अजमेर गया था।

13. गवाह पीडब्ल्यू–5 मोहम्मद उमर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि दिनांक 28.01.2016 को खान में झगडा हो गया था उसके तीन दिन बाद पुलिस मौके पर आई थी वहां तफ्तीश की थी और उनके हस्ताक्षर करवाए थे। नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है जो खान पर ही करवाए थे। **दौराने** जिरह गवाह ने कथन किये है कि उसने प्रदर्श पी 03 पर हस्ताक्षर दस ग्यारह बजे किए थे। यह कहना गलत है कि पुलिस वालें प्रदर्श पी 03 की लिखापढ़ी पहले से करके लाए हो। वह अनपढ़ है केवल हस्ताक्षर करना जानता है। पुलिस करीब घंटे भर रूकी थी। पुलिस ने उससे भी पुछताछ की थी। पुलिस ने प्रदर्श पी 03 के बारे में बताया था कि खान पर झगड़ा हुआ था उसकी उन्होंने तफ्तीश की है। पुलिस वालें दो–तीन जने आए थे। उसने प्रदर्श पी 03 पर हस्ताक्षर किए उस वक्त वहां उसके अलावा दामाराम, अफजल और हयात मौजूद थे। वह हयात को जानता है। यह कहना गलत है कि पुलिस आई तब हयात अपनी खान पर हो बल्कि हयात 'वहां आ गया था। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 03 पर उसने थाने में हस्ताक्षर किए हो।

14. गवाह पीडब्ल्यू–6 अब्दुल रसीद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि वर्ष 2016 या 2017 की बात है। वह अपने घर से रोजाना की तरह उसकी शामलाती खान कालानाड़ा गया था। वहां से फिर वह वापस आ रहा था तब घाटी चौराहे पर पहुंचा तो उसे सूचना मिली कि खान पर झगड़ा हो रहा है तब वह वापस खान पर आया तो वहां पर उसने कोई झगड़ा नहीं देखा। इसके बाद वह वापस अपने घर पर आ गया। इसके पश्चात उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित कर जिरह की अनुमति चाही गई है व **दौरा**ने जिरह अभियोजन अधिकारी गवाह ने कथन किये है कि यह कहना सही है कि उसकी शामलाती खान के नंबर 51/5 है जो कालानाडा रेंज में स्थित है। यह कहना सही है कि घटना की सूचना मिलने के बाद वह खान पर वापस गया था। यह कहना गलत है कि वह खान पर पहुंचा तब वहां झगड़ा चल रहा हो। यह कहना गलत है कि झगड़ा अरफान, सद्धाम व दूसरी तरफ फरहान, इमरान, मोहम्मद हसन, जाकिर हुसैन के बीच हो रहा हो। यह कहना गलत है कि इन लोगों के बीच में आपस में पत्थर बाजी व गाली गलौच हो रही हो। उसे नहीं पता कि झगड़े में अरफान व फरहान अहमद घायल हो गए हो। जब वह खान पर गया तब वहां हमेशा की तरह काम करने वाले लोग ही थे, ज्यादा लोग नहीं थे। गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श–पी 04 का ए से बी हिस्सा सुनकर कहा कि उसने पुलिस को नहीं लिखवाया था पुलिस ने क्यों लिख लिया उसे पता नहीं है। यह कहना सही है कि जाकिर हुसैन, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद हसन, फरहान अहमद को वह जानता है। अज खुद कहा कि ये उसके भाईबंध है। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान उसके भाईबंध होने के कारण वह उन्हें बचाने के लिए आज झूठे बयान दे रहा है।

15. गवाह पीडब्ल्यू–7 डॉक्टर श्रवण कुमार नायक ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि दिनांक 28.1.2016 को वह सी.एच.सी मकराना में मेडिकल ज्यूरिष्ठ के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसने पुलिस प्रतिवेदन पर मजरूब अरफान पुत्र दीन मोहम्मद उम्र 42 साल, निवासी मकराना के शरीर पर आई चोटो का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन जारी किया। चोट से 01 कुचला हुआ घाव 3 सेमी गुणा 0.5 सेमी गुणा रिस्ता हुआ खून ललाट पर तीन सेमी पीछे मिडलाईन पर, चोट सं 02 गर्दन में दर्द होना बताया। चोट से 03 छाती के बाएं साईड में पीछे की तरफ दर्द होना बताया। चोट सं 01,02,03 कुन्द हथियार से कारित थी। चोट से 01,02,03 की प्रकृति जानने के लिए एक्सरे की राय दी गई थी। बाद एक्सरे चोट सं 01,02,03 सामान्य प्रकृति व कुन्द हथियार से कारित थी। सभी चोटों की अवधी 0 से 6 घंटे

के भीतर की थी। चोट प्रतिवदेन प्रदर्श–पी 05 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह अंकित है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श–पी 06, 07, 08, 09 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एक्सरे कवर प्रदर्श–पी 10 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **दौराने** जिरह गवाह ने कथन किये है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श–पी 05 में वर्णित चोट सं 01 काम करते वक्त सिर के बल गिरने से या सिर पर कोई पत्थर गिरने से आना संभव है।

16. गवाह पीडब्ल्यू–8 नेमीचंद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि सन् 2016 की बात है। तारीख व महिना उसे आज याद नहीं है। दिन के लगभग एक–डेढ बजे वह लालू की खान पर मजदूरी कर रहा था। लालू की खान का पड़ौसी अब्दुल गफूर जो लालू का काका लगता है और उसके साथ सात–आठ जने थे आए जिनके नाम उसे नहीं पता। अब्दुल गफूर ने आकर लालू के साथ लाठी से मारपीट करना चालू कर दिया। लालू ने फोन करके पुलिस को बुला लिया था। पुलिस वाले वहां आ गये थे फिर वो लोग वहां से भाग गये। **दौरा**ने जिरह गवाह ने कथन किये है कि उसने लालू की खान पर पांच–छ महिने काम किया था। यह कहना सही है कि वह आज लालू के कहने से बयान दे रहा है। यह कहना सही है कि उसने अभी गफूर का नाम लालू के कहने से ही बताया है। खान तीन सौ साढे तीन सौ फीट गहरी है। झगड़ा खान के बाहर पेड़े पर हुआ था। झगड़ा खान के फिल्ड की साईड हुआ था। वह खान के अंदर था। यह कहना सही है कि उसने अरफान के कहीं चोट नहीं देखी थी। यह कहना सही है कि वह आज ही बयान देने आया है इससे पहले कहीं बयान नहीं दिये। आज की हाजरी लालू ने उसे दी है। यह कहना सही है कि वह हाजरी बजाने के लिए आया है।

17. गवाह पीडब्ल्यू–9 इन्द्रराज मरोडिया ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि वह दिनांक 28.01.2016 को पुलिस थाना मकराना में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन प्रार्थी मोहम्मद अफजल ने एक टाईपशुदा रिपोर्ट उपस्थित थाना होकर उसके समक्ष पेश की। रिपोर्ट के मजमून से मामला जुर्म धारा 147,148,149,336,307 भा.द.सं. के वकू में आना पाये जाने पर प्रकरण संख्या 33/2016 दर्ज कर अनुसंधान यासिन खां हैड कानि को सुपुर्द की। रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 है जिस पर ए से बी प्रार्थी के, सी से डी उसके हस्ताक्षर तथा इ से एफ कार्यवाही पुलिस का पृष्ठाकन है। चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–2 है जिस पर ए से बी प्रार्थी व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अनुसंधान अधिकारी यासिन खां द्वारा घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया था जो प्रदर्श पी–3 है जिस पर जी से एच यासिन खां हैड कानि के

हस्ताक्षर है। मजरूब अरफान का चोट प्रतिवेदन यासिन खां एच.सी. द्वारा शामिल पत्रावली किया गया जो प्रदर्श पी–5 है जिस पर इ से एफ यासिन खां के शामिल पत्रावली के हस्ताक्षर है। गवाह मोहम्मद अफलज, सदाम, अरफान अहमद, दामाराम, नेमीचंद के बयान यासिन खां हैड कानि द्वारा लिये गये। उसके पश्चात पत्रावली श्री बलवीर सिंह सहायक उपनिरीक्षक के जिम्न्में हुई जिनके द्वारा गवाहान मोहम्मद रफीक, अब्दुल रशीद, अब्दुल कलाम के बयान लेखबद्ध किये गये। बलवीर सिंह ए.एस.आई. द्वारा मुल्जिमान जाकिर हुसैन, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद हसन व फरहान अहमद के विरूद्ध जुर्म धारा 323,341,336,504 भा.दं.सं. का अप्राच प्रमाणित मानकर पत्रावली उसके समक्ष पेश की। उसके द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया जाकर उच्चाधिकारियों से आदेश प्राप्त कर उपरोक्त मुल्जिमान के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। यासिन खां व बलवीर सिंह ए.एस.आई के हस्ताक्षर वह उनके साथ काम करने की वजह से पहचानता है। **दौराने** जिरह गवाह के कथन रहे है कि यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण का अनुसंधान उसके द्वारा नहीं किया गया। यह कहना सही है कि उसके द्वारा दोनो अनुसंधान अधिकारी के द्वारा किये गये अनुसंधान के आधार पर ही आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। यह कहना सही है कि दौराने कार्यवाही पुलिस अंकन उसके द्वारा मजरूब की चोट का अंकन नहीं किया गया। मजरूबान के शरीर पर कोई चोट हो और कोई पट्टी वगैरह बंधी हो यह आज उसे याद नहीं है।

18. गवाह पीडब्ल्यू–10 सुरेन्द्र कुमार गोदारा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि वह सितंबर 2015 से जून 2016 तक पुलिस थाना परबतसर में उपनिरीक्षक के पद पर पुलिस चौकी मंगलाना के पद पर पदस्थापित था। उस दौरान प्रकरण संख्या 33/2016 पुलिस थाना मकराना में पूर्व अनुसंधान अधिकारी बलवीर सिंह हैड कानि. द्वारा की गई अनुसंधान एसपी साहब नागौर के आदेश से सत्यापन हेतु उसे प्राप्त हुई। जिस पर उसके द्वारा पूर्व अनुसंधान अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किये गये बयानों के संबंध में गवाहों को तलब कर बयानो का सत्यापन किया गया। आरोपीगण से पुछताछ की गई। नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 उसके द्वारा तस्दीक किया गया। चोट प्रतिवेदन व संबंधित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बाद सत्यापन अभियुक्त जाकिर हुसैन, मो. इमरान, मो. हसन, फरहान के विरूद्ध पूर्व अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रमाणित आरोप जुर्म धारा 323,341,336,504 भारतीय दण्ड सहिंता को प्रमाणित पाया गया। बाद सत्यापन पत्रावली तत्कालीन थानाधिकारी इन्द्रराज मरोडिया को सुपुर्द की गई।

जिनके द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। **दौराने** जिरह गवाह के कथन रहे है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 3 नक्शा मौका के लिए वह मुस्तगीस के कहेअनुसार गया था। वह घटनास्थल की तस्दीक हेतु निजी वाहन से गया था। वह अपने स्वयं के निजी वाहन से घटनास्थल तस्दीक करने गया था। उसके साथ घटनास्थल पर तस्दीक करने हेतु जगदीश हेड कानि. साथ गया था। उसके द्वारा सत्यापन के संबंध में प्रदर्श पी 3 पर जगदीश के हस्ताक्षर नहीं करवाये। यह कहना सही है कि उसने तस्दीक के दौरान घटनास्थल के पडोसियो से तस्दीक नहीं करवाई थी। यह कहना सही है कि सत्यापन से पूर्व घटनास्थल पर उसका कोई काम नही पडा। घटनास्थल पर स्वयं प्रार्थी मिला था। सत्यापन हेतु पत्रावली उसे कब मिली वो तारीख आज उसे याद नहीं है। आज उसे यह भी याद नही है कि सत्यापन की पत्रावली मिलने के कितने दिन बाद टिनास्थल तस्दीक के लिए गया था। यह कहना गलत है कि उसके द्वारा घटनास्थल का तस्दीक अपने कार्यालय मे बैठकर किया गया हो। उसके द्वारा किन–किन गवाहो को बुलाकर बयान तस्दीक किये गये उनके नाम आज उसे याद नहीं है डायरी में लिखे हुवे है। यह कहना सही है कि गवाहो को उसने वापस बुलाकर किस दिनांक बयान तस्दीक की उसे आज याद नहीं है। यह बात सही है कि घटनास्थल प्रदर्श पी 3 की तस्दीक में किस दिशा के रास्ते से जाकर की आज उसे याद नही है। यह बात सही है कि उसने सत्यापन किया है इसके अलावा उसने पृथक से कोई अनुसंधान नहीं किया।

19. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से दिए गए तर्को के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे दर्शीत हो रहा है कि पारिवादी मोहम्मद अफजल द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पुलिस थाना मकराना में प्रस्तुत की गई थी घटना के दिन करीब 11:30 बजे वे अपने भाई बटवारे की खान पर खनन कार्य कर रहे थे तब अभियुक्तगण एक राय होकर उनके कब्जेशुदा खान जो लगभग 250 फीट गहरी है में हाथ में सरीये, लाठियां लेकर प्रार्थी के भाई इरफान अहमद की हत्या करने की आशय से खान के अदर घुसकर अभियुक्त अब्दुल गफूर ने अपने हाथ के सरिये से प्रार्थी के भाई के सिर पर मारी जिससे उसके भाई के सर पर गंभीर चौट आई व खान में कार्य कर रहे दामाराम तथा नेमीचंद द्वारा आकर बीच बचाव किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित हो रहा है कि उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मकराना में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 33/2016 अंतर्गत धारा 147,148,149,336,307 भारतीय दंड संहिता में दर्ज की गई है एवं बाद अनुसंधान

अभियुक्त द्वारा अभियुक्त जाकिर हुसैन, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद हसन, फरहान अहमद के विरुद्ध केवल धारा 323, 341, 336, 504 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली का यदि अवलोकन किया जाए तो दर्शित हो रहा है कि पारिवादी मोहम्मद अफजल द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि जिस स्थान पर अभियुक्तगणों द्वारा आकर लड़ाई झगड़ा किया गया वह उनके भाई बटवारासुदा खान है। इस संबंध दोराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिए गए हैं कि उक्त खान परिवादी पक्ष की नही है न ही उनके द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज आदि प्रस्तुत किए गए हैं। सर्वप्रथम यदि इसी बिंदु के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो दर्शित हो रहा है कि पारिवादी जो न्यायालय में गवाह पी. ड. 1 के रूप में उपस्थित हुआ है ने अपनी जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि खान उसके या उसके पिताजी के नाम स्वीकृत हो तो उसे पता नहीं है। खान का लाइसेंस किसके नाम है उसे पता नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य गवाह पी.ड. 2 अरफान अहमद ने भी अपनी जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि खान का लाइसेंस अब्दुल गफूर, शेख फरीद के नाम से बना हुआ है। आगे गवाह द्वारा यह भी कथन किए गए हैं कि उक्त लाइसेंस उनकी सहमति से बना हुआ है परंतु ऐसी कोई सहमति प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी दश मे उक्त गवाह द्वारा दी गई साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में जो खान तथाकथित रूप से परिवादी पक्ष द्वारा स्वयं की भाई बटवारा की बताई गई है वह उनके भाई बंटवारे की हो। न हीं अभियान पक्ष की ओर से उक्त खान के स्वामित्व या बंटवारे के संबंध में कोई दस्तावेज ही प्रस्तुत किए गए हैं।

20. पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित हो रहा है की रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में परिवादी मोहम्मद अफजल द्वारा यह कथन किए गए हैं की घटना के दिन अभियुक्तगण द्वारा ढाई सौ फीट खान के अंदर जबरदस्ती उसके भाई के साथ मारपीट की गई है। इस संबंध में दोराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगणों की ओर से यह तर्क दिए गए हैं कि जिस स्थान पर तथाकथित रूप से मारपीट किया जाना बताया गया है वह अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार विवादित है। गवाहान द्वारा दी गई साक्ष्य में इस संबंध में गंभीर विरोधाभास है। उक्त बिंदु के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे यह दर्शीत हो रहा है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 घटनास्थल के संबंध में बनाया गया है एवं नक्शा मोका के मार्क एक्स स्थान पर लड़ाई झगड़ा होना बताया गया है। नक्शा मोका के अवलोक से दर्शीत हो रहा है कि

नक्शा मौका मोहम्मद उमर तथा हाजी हयात के समक्ष बनाया गया है एवं नक्शा मोके पर मोहम्मद अफजल के भी हस्ताक्षर करवाए गए हैं। उक्त संबंध में पत्रावली के अवलोकन से दर्शीत हो रहा है कि मोहम्मद अफजल जो हस्तगत प्रकरण का परिवादी है द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये है कि जब इरफान बाहर आया तो हसन ने पत्थर से उसके चोट मारी। जबकी उक्त गवाह ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में यह कथन करता है कि अभियुक्तगण द्वारा उनकी खान जो 17.5 गुना 250 फीट के अंदर आकर मारपीट की गई जबकि दूसरी ओर विरोधाभासी कथन करता है कि जब इरफान बाहर आए तो हसन द्वारा पत्थर से उसके चोट मारी जो विरोधाभासी है। नक्शा मोके का अन्य कर पी डी 3 हयात अली द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है की है घटना के दिन उसने देखा था कि अरफान के साथ 5–6 लोग मारपीट कर रहे थे। नक्शा मोका पर स्वयं के हस्ताक्षर होने के कथन किए गए हैं परंतु स्वयं की जिरह में उक्त गवाह कथन करता है कि प्रदर्शन पी 3 की लिखा पढी उसके सामने नही की थी ऐसे दशा में उक्त गवाह द्वारा दी गई साक्ष्य के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 उसके समक्ष या उसकी निशादेही से बनाया गया। नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 के ही अन्य गवाह पी.ड. 5 मोहम्मद उमर न्यायालय उपस्थित होकर मुख्य परीक्षा में नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 पर स्वयं के हस्ताक्षर होने के कथन करता है। साथ ही यह भी कथन करता है की प्रदर्श पी 3 पर हस्ताक्षर के वक्त वहां पर उसके अलावा दमाराम,अफजल और हयात मौजूद थे। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शीत हो रहा है कि दोराने अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी बलवीर सिंह द्वारा नक्शा मौका बनाया गया। अनुसंधान अधिकारी की मृत्यु होने से वह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ है। अन्य गवाह इंद्रराज मारोडिया जिनके द्वारा नतीजा पेश किया गया है ने अपनी जिरह में किान किये है कि उसके द्वारा प्रकरण में अनुसंधान नहीं किया गया है तथा सुरेंद्र कुमार जिसके द्वारा अनुसंधान का सत्यापन किया गया कि ने भी अपनी जिरह में यह कथन किए हैं कि उसके द्वारा घटनास्थल की तस्दीक पड़ोसियों से नहीं की गई है। अनुसंधान में बनाए थे नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 के संबंध में मजरूब अरफान अहमद की साक्ष्य का भी अवलोकन किया जिससे हो रहा है कि उक्त गवाह द्वारा अपनी जिरह में कथन किये है कि खान संख्या 51/5 में घीसा जी गोड की खान है इसके पूर्व में फील्ड है, दक्षिण में उमर की और फारूक जी और उनके भाइयों की खान है। खान संख्या 51/5 में पूर्व में उनकी क्रेन थी व उत्तर में उनकी क्रेन थी जो गिर गई। फिर कहा पश्चिम में उनकी क्रेन है। इसी परिप्रेक्ष में यदि

नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 का अवलोकन किया जाए तो यह दर्शित हो रहा है कि घटना स्थल एक्स मार्क पर बताया गया है जिसके पश्चिम की ओर कालानाड़ा बोरावड रास्ता एवं उसके पश्चात मोहम्मद रफीक किदवई मैदान बताया गया है इसके अतिरिक्त नक्शा मोका में दक्षिण की ओर घीसा जी गोड की खान बताई गई है, जो गवाह पी.ड. 2 अरफान अहमद द्वारा दी गई साक्ष्य के विपरीत है क्योंकि गवाह द्वारा स्वयं की साक्ष्य में दक्षिण की ओर उमर जी की खान बताई गई है जो नक्शा मोका में उत्तर की ओर दर्शित की गई है। प्रकरण का परिवादी मोहम्मद अफजल न्यायालय में गवाह पी.ड.1 के रूप में उपस्थित हुआ है जिसने अपनी जिरह में यह भी कथन किये हैं कि घटना खान के पिछवाड़ में हुई थी, ऐसी दशा में अनुसंधान अधिकारी के उपस्थित नहीं होने एवं गवाहान द्वारा नक्शा मोका प्रदर्श पी 3 में उल्लेखित तथ्यों के विरोधाभासी कथन करने के आधार पर नक्शा मोका प्रदर्श पी 3 में तथाकथित रूप से जिस स्थान पर मारपीट किया जाना बताया गया है उसे स्थान की पहचान संदेहास्पद होने से पहचान स्थापित नहीं हो पाई है।

21. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार घटना के दिन अभियुक्तगण द्वारा मिलकर परिवादी मोहम्मद अफजल के भाई अरफान अहमद के साथ मारपीट की गई है जिससे उसके शरीर पर चोट आई है। इसी संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में यह भी कथन किए गए हैं कि घटना में दामाराम व नेमीचंद द्वारा जाकर बीच बचाव करवाया गया था उक्त दोनों भी न्यायालय में गवाह के रूप में उपस्थित हुए हैं जिनमें से दामाराम गवाह पी.ड. 4 के रूप में उपस्थित हुआ है। उक्त गवाह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में घटना दिनांक 28.01.2016 को शुबह 11:00 की होना बात कर उस दिन अभियुक्त शेखफरीद, अब्दुल गफूर, इमरान, फरहान हसन द्वारा गाली गलोच करते हुए खान के पास आने एवं गफूर द्वारा सरिये से पत्थर से हाथों से अन्य व्यक्तियों सहित मिलकर खान के अंदर आते ही अरफान पर हमला करना, अब्दुल गफूर द्वारा सरिया से अरफान के सर पर मरने जिससे उसके नीचे गिर जाना व उसके तथा नेमीचंद द्वारा बीच बचाव कीये जान के कथन किए गए हैं। साथ ही उक्त गवाह द्वारा अपने जिरह में यह भी कथन किए हैं कि उसे खान के बाहर आने पर पता चला कि खान पर 50–60 आदमी इकट्ठा हो गए थे। झगड़ा खान के पिछवाड साइड में हुआ था। जो खान के अंदर हुआ खान के पेड़ पर नहीं हुआ था। झगड़े में इरफ़ान नीचे गिर गया था उक्त गवाह द्वारा अपनी जिरह में आगे यह भी कथन कीये है कि टंकी में वह और नेमीचंद और इरफान था। बाहर क्रेन पर बाबूलाल और कमलेश

थे। झगड़ा खान की पावर साइड में हुआ था जो खान के अंदर हुआ था खान के पेडे पर नहीं हुआ था। पुलिस खान के अंदर मौका देखने नहीं आई थी। मारपीट वाली जगह मौका देखने नहीं आई थी। इसके अतिरिक्त गवाह नेमीचन्द न्यायालय में गवाह पी.ड.8 के रूप में उपस्थित हुआ है। उक्त गवाह द्वारा अभियान कहानी के अनुसार यह कथन किए हैं कि वह लालु जी की खान पर मजदूरी कर रहा था घटना करीब एक डेढ़ बजे की बात कर उस दिन लालु की खान का पड़ोसी अब्दुल गफूर जो लालू का काका लगता है और उसके साथ सात आठ लोगों द्वारा आकर अब्दुल गफूर द्वारा लालु के साथ लाठी से मारपीट की गई। परंतु उक्त गवाह द्वारा अपनी जिरह में यह भी कथन किए हैं कि वह बयान देने लालु के कहने पर ही आया हैं व झगड़ा खान के बाहर पेड़ पर हुआ था। जबकि पूर्व में घटना के तथाकथित रूप से चक्षुदर्शी साक्षी रहे दामाराम द्वारा यह कथन किए गए थे कि झगड़ा खान के अंदर हुआ था पेड़ पर नहीं हुआ था। साथ ही उक्त गवाह द्वारा यह भी कथन किए गए हैं कि वह बयान देने के दिन हाजिरी लालु द्वारा उसे दिए जाने पर न्यायालय में उपस्थित हुआ है। ऐसी दशा में उक्त दवा एवं पूर्ववर्ती चक्षुदर्शी साक्षी की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है।

22. दौरान बहस अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क रहे है कि प्रकरण के परिवादी मोहम्मद अफजल द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुति दिनांक 28.01.2016 को समय 02 पीएम पर बताई गई है व रिपोर्ट की पुस्त पर अंकित कार्यवाही पुलिस में यह भी तथ्य उल्लेखित किए गए हैं कि अरफान अहमद के सिर में चोट होने से राजकीय चिकित्सालय मकराना से अजमेर हेतु रेफर किया गया है, तथा इसी संबंध में मजरूब अरफान के चोट प्रतिवेदन में जिस समय चोट प्रतिवेदन बनाया गया का समय 01.54 पीएम लिखा गया है। इस संबंध में रिपोर्ट प्रदर्श 01 पर उल्लेखित कार्यवाही पुलिस तथा चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 05 का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित हो रहा है कि उक्त दोनों फर्द व रिपोर्ट दिनांक 28.01.2016 की है परंतु चोट प्रतिवेदन समय 01.54 पीएम पर राजकीय चिकित्सालय मकराना में बनाकर समय 2:00 पीएम पर अजमेर रैफर किए जाने के तथ्य उल्लेखित किए गए हैं जो प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों पर संदेह उत्पन्न करता है क्योंकि 6 मिनट में किसी व्यक्ति द्वारा राजकीय चिकित्सालय मकराना से पुलिस थाना मकराना में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवा यह सूचना देना कि मजरूब को अजमेर चिकित्सालय में रेफर किया गया है संभव दर्शित नहीं हो रहा है। पत्रवली के अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि दोराने अनुसंधान अनुसंधान

अधिकारी द्वारा मजरूब अरफान के शरीर पर आई चोटों का चोट प्रतिवेदन बनवा कर दोराने साक्ष्य प्रदर्श पी 5 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है। चिकित्सक के रूप में डॉक्टर श्रवण कुमार नायक पी.ड. 7 न्यायालय में उपस्थित हुए हैं जिसने मुख्य परीक्षा में चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 5 चोट प्रतिवेदन में चोट संख्या एक कुचला हुआ घाव ललाट पर, चोट संख्या दो गार्दन में दर्द व चोट संख्या तीन छाती के बाई साइड में दर्द होना बताया गया है परंतु उक्त गवाह द्वारा अपनी जिरह में यह भी कथन कीये है की चोट संख्या एक काम करते समय सिर के बाल गिर जाने या सर पर कोई पत्थर गिर जाने से आना संभव है। इसी संबंध में पत्रावली का और अवलोकन किया गया जिससे यह दर्शित हो रहा है कि हालांकि परिवादी एवं मजरूब द्वारा स्वयं की साक्ष्य में यह कथन किए गए हैं कि अभियुक्तगण द्वारा आकर मजबूर के साथ मारपीट की गई जिसके कारण उनके चोट आई है, परंतु घटना के चक्षुदर्शी साक्षी दामाराम जो न्यायालय में गवाह पी.ड. 4 के रूप में उपस्थित हुआ है उक्त गवाह द्वारा अपनी जिरह में यह भी कथन की है कि झगड़े में इरफान नीचे गिर गया जिस पर इरफान को टंकी के अंदर डालकर खान से बाहर उसने वह नेमीचंद ने निकला था। ऐसी दशा में अभियोजन पक्ष की ही ओर से प्रस्तुत उक्त साक्षी द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर यह भी माना जा सकता है कि मजरूब अरफान के शरीर पर आई चोट मारपीट में ना आकर उसके खान में गिर जाने से आई है। अभियोन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य गवाह में गवाह पी.ड.6 अब्दुल रसीद द्वारा अभियोन पक्ष की कहानी का समर्थन ही नहीं किया गया है एवं उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है व घटना देखे जाने से भी इनकार किया गया है।

23. अतः उक्त आधारो पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह दर्शित हो रहा है कि प्रकरण में तथाकथित रूप से जिस स्थान पर घटना कारित होना बताया गया है के संबंध में विरोधाभासी कथन गवाहान द्वारा किए गए हैं। प्रकरण के चक्षुदर्शी साक्षी पेमाराम द्वारा यह कथन किए गए हैं कि इरफान झगड़े में गिर गया था जिसे उसने व नेमीचंद द्वारा टंकी में खान के बाहर निकल गया जिस आधार पर मजरूब के शरीर पर आई चोट गिरने से आना दर्शित हो रहा है एवं इस तथ्य की तईद चोट प्रतिवेदन बनाने वाले चिकित्सक डॉक्टर श्रवण द्वारा भी अपनी साक्ष्य में की गई है। अनुसंधान अधिकारी की मृत्यु होने के कारण वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है एवं अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य गवाह इंद्रराज मारोडिया द्वारा स्वयं की जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा

अनुसंधान नहीं किया गया एवं सत्यापन कर्ता सुरेन्द्र कुमार गोदारा द्वारा भी घटनास्थल पर जाकर पड़ोसीगण से अनुसंधान किए जाने से इनकार किया गया है ऐसी दशा में उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर अभियान पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजनपक्ष यह साबित करने में असफल रहा है की घटना के दिन अभियुक्तगण द्वारा पारिवादी को उसकी इच्छित दिशा में जाने से निवारित कर उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की व ऐसा कार्य किया जिससे मानव जीवन संकटापित हो तथा गाली गलौज कर परिवादी या मजरूब को अपमानित किया हो व इन आधारों पर अभियुक्तगण को उनके विरुद्ध आरोपित अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

–आदेश–

24. फलतः अभियुक्तगण 1.जाकीर हुसैन पुत्र जुम्मा उम्र 52 वर्ष, 2. मो. इमरान पुत्र अब्दुल गफूर उम्र 43 वर्ष, 3. मोहम्मद हसन पुत्र अब्दुल गफूर उम्र 36 वर्ष, 4. फरहान अहमद पुत्र शकूर अहमद उम्र 38 वर्ष निवासीगण चांद जी का कुआ मकराना पुलिस थाना मकराना जिला डीडवाना कुचामन को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 336, 504 भारतीय दंड संहिता में संदेह का लाभ दिया जा कर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह माननीय अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् अपने 437ए दं0प्र0सं0 के तहत दस हजार रुपये का जमानतनामा व इसी कदर राशि का मुचलका पेश कर तस्दीक करावे जो आगामी 06 माह के लिए प्रवृत्त रहेगा।

(रूपेन्द्र चौहान)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मकराना जिला डीडवाना कुचामन।

25. निर्णय एवं दंडादेश आज दिनांक 24.08.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूपेन्द्र चौहान)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मकराना जिला डीडवाना कुचामन।